फर्द अहकाम

शंकरराम बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 29/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	30/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश से विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जमाबंदी नक्शा अन्य डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन करने व बहस को श्रवण करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है व वाद विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय उद्घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजे से फक हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
29/2022	07/03/2022	30.09.2024

1. शंकरलाल पुत्र थानाराम जाति मीणा निवासी माथासूला, ढाणी खैरान की तहसील आंधी जिला जयपुरं — प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान । — अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा – वकील प्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् तरमीम दुरूस्तीकरण

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री महेश शर्मा के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माथासूला पटवार हल्का माथासूला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में साबिक खसरा नम्बर 170 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै0मु0आबादी भूमि स्थित रहीं हैं जो कि हाल खसरा नम्बर 899 रकबा 1. 0900है0 अनुसार है तथा जिसमें साबिक खसरा नम्बर 170 राजस्व नक्शें अनुसार दक्षिण दिशा में पूर्वी ओर वर्तमान खसरा नम्बर 913 के पश्चिम दिशा में आबादी भूमि प्रार्थी ने अपने आवासीय पुख्ता मकान सहित काबिज है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा मिसल नं0 25 दायर दिनांक 22.12. 1985 में संकल्प सं0 16 दिनांक 17.08.1986 के द्वारा आबादी भूमि का विकय विलेख अनुसार पटटा नं0 20 जारी किया गया है। लेकिन प्रार्थी के आवासीय आबादी पटटे एवं मौके पर पुख्ता निर्मितशुदा कब्जे व हक अधिकार के विरूद्व तथा साबिक राजस्व नक्शें के विपरित त्रुटिपूर्ण नवीन नक्शा तरमीम होने से आगे वादग्रस्त भूमि है। साबिक खसरा नम्बर 166 के पश्चिम में लगवा साबिक खसरा नम्बर 170 के राजस्व नक्शें मुताबिक आबादी भूमि है। जिसके अनुसार ही सेटलमेंट कार्यवाही हाल खसरा नम्बर 913 के पश्चिम में लगवा वर्तमान खसरा नम्बर 899 का राजस्व नक्शा तरमीम होना चाहिए था। लेकिन साबिक खसरा नम्बर 170 के नक्शें में खसरा नम्ब 912 के नक्शें की त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया, जो कि प्रार्थी के कब्जे मौके व पंचायती पटटे की भूमि के विरूद्व त्रुटिपूर्ण तरमीम है। दौराने सैटलमेंट कार्यवाही में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के आवासीय गै0मु0आबादी मय पटटेंशुदा भूमि को हाल नवीन राजस्व नक्शें में साबिक नक्शें एवं प्रार्थी के पुख्ता निर्मितशुदा आवासीय रहवास खाम घर व मकाना सहित कब्जे के विरूद्व त्रुटिपूर्ण तरमीम करते हुए हाल खसरा नम्बर 912 का नक्शा तरमीम करते हुए प्रार्थी के आवासीय रहवास सहित कब्जे मय पंचायती पटटे शुदा आबादी भूमि का हाल खसरा नम्बर 912 के राजस्व नक्शें में शामिल रखते हुए अवैध व त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया, जो कि प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्व तरमीम होने से दुरूस्तनीय है। साबिक खसरा नम्बर 170 के राजस्व नक्शें अनुसार ही हाल खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

899 का राजस्व नक्शा साबिक खसरा नम्बर, 169 के राजस्व नक्शें व कब्जे अनुसार नवीन खसरा नम्बर 912 का राजस्व नक्शा कायम करना चाहिए था। जो कि वर्तमान में खसरा नम्बर 912 के नक्शें की तरमीम की प्रार्थी के आवासीय आबादी में प्रार्थी के पटटेशुदा भूमि व कब्जे सहित हक अधिकारों के विरूद्व प्रभाव शुन्य कार्यवाही है। अतः ग्राम माथासूला के साबिक खसरा नम्बर 166 के लगवा अनुसार साबिक खसरा नम्बर 170 के राजस्व नक्शें मुताबिक हाल खसरा नम्बर 913 के लगवा अनुसार खसरा नम्बर 899 का नक्शा तरमीम करने के आदेश दिया जावें तथा खसरा नम्बर 912 के वर्तमान नक्शें में पूर्वानुसार दुरूस्त फरमाने एवं विलोपित करने के आदेश देकर राजस्व नक्शें मे दुरूस्तीकरण करने के आदेश दिया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/ आर.टी./2024/98 दिनांक 28.02.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि मुताबिक संलग्न साबिक नक्शा व राजस्व रिकार्ड अनुसार साबिक खसरा नम्बर 170 रकबा 4 बीघा 6बिस्वा किस्म गै0मु0आबादी स्थित रही है। जिसमें प्रार्थी का मकान उक्त खसरा नम्बर 170 के दक्षिण सीमा के पूर्व की और स्थित है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा संलग्न है। उक्त खसरा नम्बर 170 के हाल खसरा नम्बर 899 रकबा 1.0900है0 संलग्न मिलान क्षेत्रफलानुसार रहे है। मुताबिक हाल राजस्व नक्शें के प्रार्थी का उक्त पटटा शुदा मकान खसरा नम्बर 912 रकबा 0.04किस्म बंजड में स्थित है। मुताबिक संलग्न जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 912 रकबा 0.04है0 बंजड खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 912 के साबिक खसरा नम्बर 169 संलग्न मिलान क्षेत्रफलानुसार रहे है। हाल राजस्व नक्शें के खसरा नम्बर 899 किस्म गै0मु0आबादी खसरा नम्बर 912 खातेदारी भूमि की तरमीम साबिक नक्शें के साबिक खसरा नम्बर 170 के मुताबिक नही है। साबिक नक्शें के मुताबिक खसरा नम्बर 166 के लगवा तक आबादी भूमि स्थित रही है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साबिक खसरा नम्बर 166 के हाल खसरा नम्बर 913 है। साबिक खसरा नम्बर 170 गै0मु0आबादी के रकबे में हाल खसरा नम्बर 912 की तरमीम सहवन से होना प्रतीत है। मुताबिक नक्शा के हाल खसरा नम्बर 899 एवं 912 की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत है।

वकील प्रार्थी व पैरोकार की बहस सुनने वं पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम ग्राम माथासूला, पटवार हल्का माथासूला, तहसील आंधी में स्थित हाल खसरा नम्बर 899 रकबा 1.0900 किस्म गै0मु0आबादी व खसरा नम्बर 912 रकबा 0.0400है0 किस्म गै0मु0बंजड की तरमीम प्रस्तावित नक्शा अनुसार दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शें में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़